

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2635]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 25, 2013/अग्रहायण 4, 1935

No. 2635]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 25, 2013/AGRAHAYANA 4, 1935

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2013

का.आ. 3476(अ).—जबकि मैसर्स जीएमआर कमालंगा एनर्जी लिमिटेड, आवेदक जिसका पंजीकृत कार्यालय स्किप हाउस, 25/1, म्यूजियम रोड, बेंगलूर-560025 में है, ने अंगुल, ओडिशा में जीएमआर कमालंगा एनर्जी लिमिटेड (जीकेईएल) ताप विद्युत संयंत्र (3X350 मेगावाट) से 765/400 केवी पूर्लिंग स्टेशन (पीजी) तक समर्पित 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन के निर्माण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत संशोधित अनुमोदन हेतु आवेदन किया है।

और यह कि भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 14.2.2011 के पत्र सं. 11/02/2010-पीजी के माध्यम से अंगुल, ओडिशा में जीएमआर कमालंगा एनर्जी लिमिटेड ताप विद्युत संयंत्र से पीजीसीआईएल 400 केवी उपकेंद्र तक 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन स्थापित करने के लिए जीएमआर कमालंगा एनर्जी लिमिटेड को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया था।

और यह कि आवेदक ने अब विद्युत अधिनियम, 2003 का धारा 164 के अंतर्गत उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है जो कार्यों के लिए, सरकार द्वारा स्थापित या रख-रखाव किए गए टेलीग्राफ या इस प्रकार स्थापित या रख-रखाव किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्यों के लिए टेलीग्राफ लाइनें और खम्बे लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास हैं। मैसर्स जीएमआर कमालंगा एनर्जी लिमिटेड (जीकेईएल) को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22.09.2011 के आदेश के द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया गया तथा दिनांक 23 सितंबर, 2011 के भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुआ था। यह अनुमोदन विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22.09.2011 के आदेश द्वारा दिए गए तथा दिनांक 23 सितंबर, 2011 के भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अनुमोदन के अधिक्रमण में है। स्कीम के अंतर्गत शामिल पारेषण लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आसपास से तथा उनके बीच में से गुजरेगी :—

क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील	जिला	राज्य
1.	फुलपाडा	अंगुल	अंगुल	ओडिशा
2.	कमरसाही	अंगुल	अंगुल	ओडिशा
3.	गिरडाबासी	अंगुल	अंगुल	ओडिशा
4.	भागामुंडा	अंगुल	अंगुल	ओडिशा
5.	तलमुल	अंगुल	अंगुल	ओडिशा
6.	नुआसाही	अंगुल	अंगुल	ओडिशा
7.	रोकसिंघा	अंगुल	अंगुल	ओडिशा
8.	बौलिगुडा	अंगुल	अंगुल	ओडिशा
9.	जेनासाही	अंगुल	अंगुल	ओडिशा
10.	सिमिलीचुइन	अंगुल	अंगुल	ओडिशा
11.	मानपुर	ओदापाड़ा	ढेंकानाल	ओडिशा
12.	मंगलपुर	ओदापाड़ा	ढेंकानाल	ओडिशा
13.	भागामुंडा	ओदापाड़ा	ढेंकानाल	ओडिशा
14.	दुर्गापुर	ओदापाड़ा	ढेंकानाल	ओडिशा
15.	कुरुंटी	ओदापाड़ा	ढेंकानाल	ओडिशा
16.	कुस्पंग	ओदापाड़ा	ढेंकानाल	ओडिशा
17.	कुचलामडा	ओदापाड़ा	ढेंकानाल	ओडिशा
18.	कंगलपाल	ओदापाड़ा	ढेंकानाल	ओडिशा
19.	शिवपुर	ओदापाड़ा	ढेंकानाल	ओडिशा
20.	इटाप	ओदापाड़ा	ढेंकानाल	ओडिशा
21.	पैका पुरनकोट	हिंडोल	ढेंकानाल	ओडिशा
22.	झादूबरिनो	हिंडोल	ढेंकानाल	ओडिशा
23.	नंदेलो	हिंडोल	ढेंकानाल	ओडिशा
24.	ब्रह्माना पूर्णकोट	हिंडोल	ढेंकानाल	ओडिशा
25.	कंकलू	हिंडोल	ढेंकानाल	ओडिशा
26.	नुआगांव	हिंडोल	ढेंकानाल	ओडिशा
27.	राकाला	हिंडोल	ढेंकानाल	ओडिशा
28.	बूडापंक	बनरपाल	अंगुल	ओडिशा
29.	पांडरबनिया	बनरपाल	अंगुल	ओडिशा

इसलिए अब सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत, आवेदक को वे सभी शक्तियां प्रदान करता है जो विद्युत के अन्तर्राज्यीय पारेषण हेतु ऊपर उल्लिखित अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों की संस्थापना के लिए निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन सरकार द्वारा स्थापित या रख-रखाव किए गए टेलीग्राफ या इस प्रकार स्थापित अथवा रख-रखाव किए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्यों के लिए टेलीग्राफ लाइनों और खम्बों को लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास होती हैं; अर्थात:-

- अनुमोदन 25 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों के निर्माण से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को पारेषण, ओएंडएम, खुली पहुँच आदि के संबंध में उपयुक्त आयोग के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

- iv. आवेदक को अंगुल, ओडिशा में जीएमआर कमालंगा एनर्जी लिमिटेड (जीकेईएल) ताप विद्युत संयंत्र (3x350 मेगावाट) से 765/400 केवी पूलिंग स्टेशन (पीजी) तक समर्पित 400 केवी डी/सी पारेषण लाइन के निर्माण का दायित्व सौंपा गया है। कार्यों का ब्यौरा 24-30 नवंबर 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
- v. आवेदक संबंधित राज्यों के मुख्य वैद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् लाइनों का प्रचालन करेगा।
- vi. अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की मांग के अनुपालना के अधीन है।

[फा. सं. 11/44/2011-पीजी]

रीता आचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 22nd November, 2013

S.O. 3476(E).—Whereas M/s. GMR Kamalanga Energy Limited, the applicant with its Registered Office at Skip House, 25/1, Museum Road, Bangalore 560025, has applied for revised approval under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for construction of 400 kV D/C dedicated transmission line from GMR Kamalanga Energy Limited (GKEL) Thermal Power Plant (3x350MW) to 765/400kV Pooling station (PG) at Angul, Orissa.

And whereas Government of India, Ministry of Power vide letter No. 11/2/2010-PG dated 14.2.2011 had granted to GMR Kamalanga Energy Limited, approval under section 68 of the Electricity Act, 2003 for laying the 400 kV D/C transmission lines from GMR Kamalanga Energy Limited Thermal Power Plant to PGCIL 400 kV Substation at Angul in Orissa.

And whereas the applicant has now requested to confer upon him all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003 which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained for the works. Approval under Section 164 of Electricity Act, 2003 was accorded to M/s GMR Kamalanga Energy Limited (GKEL) vide Ministry of Power, Order dated 22.09.2011 and was published in The Gazette of India, Extraordinary dated September 23, 2011. This approval is in supersession to the approval accorded vide Ministry of Power, Order dated 22.09.2011 and was published in The Gazette of India, Extraordinary dated September 23, 2011. The transmission line covered under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities :—

Sl. No.	Name of the Villages	Tehsil	District	State
01	Phulpada	Angul	Angul	Orissa
02	Kamarsahi	Angul	Angul	Orissa
03	Girdabasi	Angul	Angul	Orissa
04	Bhagamunda	Angul	Angul	Orissa
05	Talmul	Angul	Angul	Orissa
06	Nuasahi	Angul	Angul	Orissa
07	Rokasingha	Angul	Angul	Orissa
08	Bauligada	Angul	Angul	Orissa
09	Jenasahi	Angul	Angul	Orissa
10	Similichuin	Angul	Angul	Orissa
11	Manpur	Odapada	Dhenkanal	Orissa

12	Mangalpur	Odapada	Dhenkanal	Orissa
13	Bhagamunda	Odapada	Dhenkanal	Orissa
14	Durgapur	Odapada	Dhenkanal	Orissa
15	Kurunti	Odapada	Dhenkanal	Orissa
16	Kuspanga	Odapada	Dhenkanal	Orissa
17	Kuchalamada	Odapada	Dhenkanal	Orissa
18	Kangalpal	Odapada	Dhenkanal	Orissa
19	Shibapur	Odapada	Dhenkanal	Orissa
20	Itap	Odapada	Dhenkanal	Orissa
21	Paika Puranakot	Hindol	Dhenkanal	Orissa
22	Jhaduberini	Hindol	Dhenkanal	Orissa
23	Nandeilo	Hindol	Dhenkanal	Orissa
24	Brahmana Purnakot	Hindol	Dhenkanal	Orissa
25	Kankalu	Hindol	Dhenkanal	Orissa
26	Nuagaon	Hindol	Dhenkanal	Orissa
27	Rakala	Hindol	Dhenkanal	Orissa
28	Budapunk	Banarpal	Angul	Orissa
29	Pandarbania	Banarpal	Angul	Orissa

Now, therefore, after careful consideration, Government of India, Ministry of Power, confers, under section 164 of the Electricity Act, 2003, all the powers on the applicant which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned interstate transmission lines for inter-state transmission of electricity, namely:-

- (i) the approval is granted for 25 years;
- (ii) the Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) the Applicant shall have to follow regulations /codes of the appropriate commission regarding transmission, O & M, open access etc;
- (iv) the Applicant has been entrusted with the responsibility of construction of 400 kV D/C dedicated transmission line from GMR Kamalanga Energy Limited (GKEL) Thermal Power Plant (3x350MW) to 765/400kV Pooling station (PG) at Angul, Orissa. The details of the works are published in the Gazette of India of November 24 – November 30, 2012.
- (v) the Applicant shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective States;
- (vi) the approval is subject to compliance by the Applicant of the requirement of the provisions of The Electricity Act, 2003 and the rules made thereunder.

[F. No. 11/44/2011-PG]

RITA ACHARYA, Jt. Secy.